[Shri A. C. George].

that Unit and they do not form part of the normal pattern They are of a larger size or their height is much more so that special arrangements will have to be made in coordination with the Railways We are hopeful that we will be able to find proper carriers and I do not think that this will present any problems

Towards the end of his remarks he mentioned about payment to the ancillary units Inspite of financial difficulties that were facing the Unit we have taken care to see that the small units which are making ancillaries are paid in time and infact in some cases even ahead of time. The normal practice is that payment is made only after testing, that is the procedure But in order to help some ancillary units we are making payments even before the usual tests are made whenever the production is delivered at the BHEL plant. To that extent the ancillaries are not only not discriminated against but they are helped also. The difficulties are not passed on to the ancillaries and our effort is to see that the smaller units thrive and progress so that ultimately with complete coordinated effort a total production pattern which will be good for the country as well as for the BHEL Unit would emerge

---

16 10 hrs

STATEMENT BY MEMBER *RE* INFORMATION GIVEN BY RAILWAY MINISTER ON 5-9-1974

श्री मधु लिमये (बाका) उपाध्यक्ष महोदय, 5 सितम्बर, 1974 को प्रतिपक्ष के सपादक के खिलाफ श्री पीलू मोदी के विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान मैंने चार गुप्त सरकारी दस्तावेजों का जिक्र या था कुछ फर्मों द्वारा लाइसेंस सहुलियत के किये गये दुरुपयोग का इन मे उल्लेख था ये दस्तावेज मेज पर रखे जा चुके है ।

इन दस्तावेजो से 3 करोड 15 लाख रुपये के आयात लाइसस का दुरुपयोग साबित होता है । चूकि पालिस्टर फायबर तथा स्टेनलेस स्टील जैसी चीजो के आयात पर 500 प्रतिशत प्रीमियम याने मुनाफा होता है, यह स्पष्ट है कि इन फर्मों ने 12 करोड रुपये का कुल फायदा उठाया है ।

इन आयात परवानो के दुरुपयोग की घटना और उन की जाँच की अवधि 1970 से लेकर 1974 तक की है ।

मैंने कहा था कि उस समय श्री ललित नारायण मिश्र, विदेश व्यापार मत्री थे । जब कुछ काग्रेसी सदस्यो ने मेरे भाषण मे बाधा डाली और प्रश्न पूछे तब मैंने कहा था कि अगर उस समय श्री एल० एन० मिश्रा विदेश व्यापार मत्री नही थे तो मैं अपना ब्यान वापस ले लूगा ।

इस बीच श्री एल० एन० मिश्रा सदन मे पहुच कर अपनी सीट पर बैठ चुके थे मेरे इस भाषण मे उन्हा ने जोर स बाधा डाली और कहा कि "1972 मे मै विदेश व्यापार मत्री नही था" ऐसा करने मे उन का उद्देश्य यह था कि 1972 मे दिये हुये लाइसेंसज के दुरुपयोग तथा उन की जाच के लिये वे जिम्मेदार नही थे। इस तरह का असर वे सदन पर डालना चाहते थे ।

लेकिन बाद मे पूछताछ मे मुझे पता चला कि श्री एल० एन० मिश्रा जून 1970 से जनवरी 1973 तक विदेश व्यापार मत्री थे। इन 30 महीनों की अवधि से विदेश व्यापार मत्रालय में अनगिनत आयात लाइसेंसो के दुरूपयोग की घटनाए हुई है। उनमे से कुछ घपलों का वर्णन मेरे द्वारा उल्लिखित गुप्त दस्तावेजो में किया गया था ।

श्री ललित नारायण मिश्रा ने गलत बयान दिया कि 1972 में वे विदेश व्यापार मंत्री नहीं थे इस गम्भीर गलत बयानी के लिये वे सदन से माफी मांगे और मेरे द्वारा उल्लेख किये गये आयात लाइसेंसों के दुरूपयोग में से जिन घटनाओं से उन का संबंध है उसके प्रति अपनी उचित जिम्मेदारी को खुले तौर पर स्वीकारें।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA): Mr. Deputy-Speaker Sir, while speaking on Mr. Poiloo Mody's privilege motion against the editor of 'Pratipaksh' on 5th September, 1974 Shri Madhu Limaye *inter alia* stated "Their licences, allotments and pending applications were released. The decision was taken in January, 1970 when Shri L. N. Mishra was the Foreign Trade Minister" (page 15205, 5-9-74 uncorrected). I thought it my duty to remove the erroneous impression and I, therefore, said that I was not the Minister for Foreign Trade in January, 1970. In fact I joined the Ministry of Foreign Trade only on 27th June, 1970. In the uncorrected copy of the verbatim in place of January, 1970, 1972 was reported.

On 6th September, 1974 when a copy of the uncorrected verbatim report was sent to me for necessary correction I substituted 'January, 1970' for '1972' and returned the uncorrected copy of the report to the Editor of Debates within the stipulated time prescribed for the purpose.

It is thus clear that it was not at all my intention to make any misleading Statement in the House.

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नोटिस जिस डायरेक्शन के तहत दिया है उस का लम्बा चौड़ा प्रोसीजर है। पहले क्या होता है:

"A member wishting to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a Minister or any other member shall, before referring to the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek his permission to raise the matter in the House.'

MR. DEPUTY-SPEAKER: Which I suppose you did.

SHRI MADHU LIMAYE: Yes, I did. Then it says:

"The member may place before the Speaker such evidance as he may have in support of his allegation."

In the Bio-data published by the Lok Sabha Secretariat it is clearly stated that he held the charge of the Foreign Trade Ministry between June 1970 to January 1973.

SHRI L. N. MISHRA: I have said that.

SHRI MADHU LIMAYE: The third rule is:

"The Speaker may, if he thinks fit, bring the matter to the notice of the Minister or the member concerned for the purpose of ascertaining the factual position in regard to the allegation made."

तो फ़ंक्चुअल पोजीशन क्या हुई कि यह 1972 में मंत्री थे लेकिन यह कहते है कि मैने कहा था कि जनवरी 1970। तो मतलब यह है कि रिपोर्टर ने गलत छापा। नहीं। आप टेप बजाइये और इस का फैसला हो जाय। मैंने बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से जब किसी सदस्य ने कहा कि उस समय यह नहीं थे तो मैंने कहा था कि अगर नहीं थे तो मैं वापस लेता हूं लेकिन 1970 और 1974 के बीच के मामले थे। कुछ मामले ऐसे थे इन के कार्यकाल में हुये इन्वेस्टीगेशन सी० बी० आई० के बारे मे आर यहा सदन में आ कर कहते हैं कि मैं 1972 में नहीं था और क्वायटली उस को करेक्ट करते हैं। बिना आप की इजाजत के इन्होंने इम्प्रेशन नहीं दिया है कि रिपोर्टर्स ने गलत लिखा है।

श्री मधु लिमये :

टेप बजाया जाया अगर वह करेक्ट करना चाहते है तो मैं विरोध नही करता हूं वह आप की इजाजत से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन को फैक्ट एडमिट तो करना चाहिये कि उन्हों ने मिस्टेक की।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने कहा था 1972 मे मैं था। जून 1970 से लेकर 4 फरवरी 1973 तक में विदेश व्यापार मंत्री था। यह बात मैं ने उस दिन भी कही।

श्री मधु लिमये : फिर कहिये मेरी गलती हुई स्लिप आफ टग हुआ उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ औबजरवेशन करेंगे हम भी करेक्ट करते हैं, लेकिन झूठ तो नही बोलगे यहां।

MR DEPUTY-SPEAKER: The Minister has said that in the Uncorrected Report it was mentioned as 'January 1972' but when his attention was drawn ...

SHRI MADHU LIMAYE: Even the word "January" is not there. I remember it is only "1970".

इन का इटेंशन देखिये चूकि जनवरी 197। की बात पहले आयी थी उन्हें ने जनवरी 1972 कहा। नही कहा। केवल 1972 कह।

MR DEPUTY-SPEAKER: You have made your point. Why don't you listen to me. The Minister has said very clearly that in the Uncorrected Report it was mentioned as 'January 1972".

SHRI MADHU LIMAYE. No You consult the uncorrected report.

MR DEPUTY-SPEAKER Let me tell you what he has said. Why are you getting annoyed? Here he says that in the Uncorrected report it was mentioned as 1972 but when his attention was drawn to it, he corrected it; he changed "1972" to "1970". That is what he said. Whenever we make speeches here there may be some slips of the tongue. But when we see in the report something that is not correct, it is the normal practice that we take the earliest opportunity to correct it, and he has done it. Therefore, there cannot be any intention of misleading the House.

16.19 hrs.

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up further consideration of the Reserve Bank of India (Amendment) Bill. Shri M. C. Daga was on his legs.

श्री मधु लिमये (बाका): इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मै जब शुक्रवार को रिजर्व बैंक बिल के बारे मे बोला तो मैंने डिपाजिट्स के बारे में कहा क्या पोजिशन है यह जानने की कोशिश की। बाद में लाइब्रेरी वालों ने रिजर्व बैंक से डाकूमेंट्स ला कर मुझे को दिये, जो वह पहले नहा दे सके क्योंकि दो किस्म के डाकूमेंट्स थे, उस से पता ही नही चलता कान सा आर्डर फोर्स मे है। मैंने शनिवार को पत्र भेजा था रोस्ट से कि सोमवार दोपहर तक मुझे बता दीजिये कि क्या वह नीला कागज वाला इन फोर्स है या ब्रोचर वाला इन फोर्स है। रिजर्व बैंक वाले कोई भी इत्तिला हमे देने के लिए तैयार नही है। हम लोग क्या करें? हम बोलना नहा चाहते है। तब तक जब तक कि ऑथेंटिक इनफार्मेशन हमें मिल नही जाती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, you have made your point.

SHRI MADHU LIMAYE: You pass a stricture on the Reserve Bank Governor. He is trying to deliberately confuse by giving two brochures.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have made the point. It is not a point of order. But, I think, the Deputy Minister will take note of it.